न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

भैरूलाल बनाम मंदिर श्री ठाकुर जी व अन्य

प्रकरण संख्या— 137/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
10.02.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) के पीठासीन अधिकारी श्री जयंत कुमार, आर. ए. एस. का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। प्रार्थी के अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 123/2024 व प्रार्थना पत्र संख्या बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 113/2024 ब–उनवानी मंदिर श्री ठाकुर जी बनाम भैरूलाल व अन्य में पीठासीन अधिकारी श्री जयंत कुमार, आर. ए. एस. से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किए जाने का अनुरोध किया है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) के पीठासीन अधिकारी श्री जयंत कुमार, आर. ए. एस. का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से प्रार्थी द्वारा उनके विरूद्ध प्रस्तुत यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शून्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो। जिला कलक्टर जयपुर	

Scanned with OKEN Scanner